2011

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
बिहार के जनगणना निदेशक का कार्यालय
OFFICE OF THE DIRECTOR OF CENSUS OPERATIONS, BIHAR
बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राज पथ, पटना 800 004
Bihar State Co-Operative Bank Bhawan, Ashok Raj Path, Patna-800 004
Phone No. 0612-2675929, 2675672,Fax-0612-2675049 Email dco-bih.rgi@censusindia.gov.in

No. D21014/1/2002 पार्ट - 2355 Dated- 17/9/2014

विषयः— यू.पी.एस. 850 वी.ए. ऑफलाईन तथा लेजर प्रिंटर भाड़े पर लिये जाने हेतु आमंत्रित निविदा प्रस्तुत करने के संबंध।

महाशय,

उपरोक्त विषय के अंतर्गत सूचित करना है कि निदेशालय में **यू.पी.एस. 850 वी.ए. ऑफलाईन तथा लेजर प्रिंटर (जिसमें क्यू 2612ए/सी0बी0 436ए टोनर काट्रिज का उपयोग किया जा सके) भाड़े पर लिये जाने** हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

अनुरोध है कि निविदा निम्नांकित प्रोफॉर्मा में दिनांक 29.09.2014 तक अपराह्न 3.00 बजे तक मुहरबन्द लिफाफे में निदेशालय में प्रस्तुत करें।

विवरणी	दर (कुल खर्च सहित)	
	प्रतिदिन	प्रतिमाह
एक यू.पी.एस.		
एक प्रिंटर (कार्ट्रिज रहित)		

TERMS & CONDITION

1. निविदा दिनांक 29.09.2014 दोपहर 3.00 बजे तक जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, बिहार राज्य सहकारिता बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना 800004 में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट, कोरियर के माध्यम से प्रेषित किया जा सकती है अथवा व्यक्तिगत तौर पर मुहर बंद लिफाफे में टेंडर बॉक्स में भी डाला जा सकता है। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार्य नहीं होगी।
2. निविदा को मान्य/अमान्य अथवा सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा तथा निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के वाद–विवाद में सक्षम अधिकारी, जनगणना कार्य निदेशालय, बिहार, पटना का निर्णय अंतिम होगा जो निविदादाताओं को मान्य होगा।
3. फर्म का VAT/पैन कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।
4. निविदादाता की जनगणना कार्य निदेशालय/केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अर्द्धसरकारी संस्था आदि द्वारा काली सूची में न होने का स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. फर्म द्वारा किये गये कार्य का निदेशालय द्वारा सत्यापन के उपरांत भुगतान किया जायेगा।
6. निविदा दिनांक 29.09.2014को अपराह्न 4.00 बजे निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
7. सफल निविदादाता के कुल स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर व अन्य कर जो लागू हो, की कटौती की जाएगी।

17/9/14
(धीरेन्द्र कुमार)
सहायक निदेशक(का0अ0)

1. ORGI Web. Site
2. नोटिस बोर्ड
3. निविदा समिति के सभी सदस्य